चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

Directorate of Medical Education and Training
Uttar Pradesh, Lucknow

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग–2022

National Eligibility cum Entrance Test (NEET) UG Counseling -2022

विवरण पुस्तिका **(Brochure)**

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के

एम.बी.बी.एस.तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम

(**M.B.B.S. & B.D.S. Courses**)

Government/Private Medical & Dental Institutions

Disclaimer: The Government of Uttar Pradesh & National Informatics Center (NIC) will be conducting the online registration procedure as per the information filled by the candidates. The Government of Uttar Pradesh & NIC will not be responsible for any technical fault.

Candidates are required to assess their eligibility themselves before applying. The eligibility will be checked at the time of online document verification and from original documents at the time of admission in State Medical Colleges/Institutions/Universities as detailed in brochure/website

https:// upneet. gov.in & www.dgme.up.gov.in

Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions will make the candidate lose his/her candidature and would be subjected to legal action.

For any communication related to UP NEET UG-2022 please email on given Email id below. ***neetcounselingup@gmail.com***

INDEX

S. No.	Subject	Page No.
1	Important Information	4
2	Eligibility	4-9
3	Registration	10-11
4	Security Fee	11-12
5	Counseling Process	12-13
6	Admission Process & Nodal Centers	13-16
7	Resignation	16
8	Reservation	16-19
9	List of Medical & Dental Colleges	20-23
10	Caste List(OBC/SC/ST)	24-25
11	Service Bond	26-27

Help line Number- 07897451786

Website for information: https://upneet.gov.in, www.dgme.up.gov.in

Website for Online counseling: https://upneet.gov.in

अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances)

अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित विशेष अधिकारी का नाम व पदनाम निम्नानुसार है:–

डा0 अरविन्द कुमार पाल
विशेष अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ
मोबाईल नम्बर–**9454019386**
कार्यालय दूरभाष नम्बर–**0522-4238560**
ई–मेल आई0डी0– **neetcounselingup@gmail.com**
(कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05 बजे तक)

नोट– वाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा।

<u>Tentative Dates of U.P. NEET UG-2022 Counseling</u>

Dates for First Round Counseling	
Date of Online Registration	From 22-10-2022 (2.00 PM) to 28-10-2022 (2.00 PM)
Submission of Registration money	From 22-10-2022 (2.00 PM) to 28-10-2022
Submission of Security money	From 22-10-2022 (2.00 PM) to 30-10-2022
Date of declaration of Merit list of registered Candidates	From 22-10-2022 (2.00 PM) to 28-10-2022 (2.00 PM)
Date of Online Choice filling	From 01-11-2022 (11.00 AM) to 04-11-2022 (2.00 PM)
Declaration of result of Seat Allottment	04/05 -11-2022
Date for Downloading Allottment Letter & Admission	07-11-2022 to 11-11-2022
Tentative Dates for Second Round Counseling	
Date of Online Registration	**Declared Separataly**
List of Registered Candidates	
Document Verification & Submission of Security Fee	
Date of Online Choice filling	
Declaration of Seat Allottment Result	
Date for Downloading Allottment Letter	
Tentative Dates for MOP-UP Round	
Date of Online Registration	**Declared Separataly**
List of Registered Candidates	
Date of Onspot Admission in Govt. Medical/Dental College	
Date of Onspot Admission in Pvt. Medical College	
Date of Onspot Admission in Pvt. Dental College	
Commencement of session	

Any change in date of online counseling will be displayed on the website. For updated information see time to time website ***https://upneet.gov.in & www.dgme.up.gov.in***

Important Information:

1. Only online registration will be done as per the schedule.
2. **Registration Fee** (Non Refundable): Only **online payment** will be accepted.
   - As a non-refundable registration fee of Rs. 2,000/- + Bank Transaction Charges common for both Govt. & Private Medical/Dental Colleges/Institute/State University (1st & 2nd Round)
3. **Security Fee**: Only **online payment** will be accepted.
   - Security Fee of Rs. 30,000/- [Thirty Thousand] for Govt. Medical/Dental Colleges/Institutes/State Universites.
   - Security fee of Rs. 2,00,000/- [Two Lakhs] for Pvt. Medical Colleges/Institutes/State Universites.
   - Security fee of Rs.1,00,000/- [One Lakh] for Pvt. Dental Colleges/Institutes/State Universites.
4. Registration will not be completed till online payment has been made.
5. Online registration/security fee submission/ document verification does not ensure seat allocation.
6. If security fee not submitted by candidate then candidate will not be permitted for choice filling.

I- अर्हतायें (Eligibility)

प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल/विश्वविद्यालय/संस्थानों/अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हताएंः–

- ऐसे छात्र जिन्होने NEET यू0जी0 2022 की परीक्षा में प्रतिभाग करते हुए नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** पर पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराया हो, ही कांउसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाईट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के **राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेज** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनो परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नही होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से कोई एक परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाए उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, को सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्याः–157/तीन–2003–77(11)83, दिनांक 18.02.2003 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों को डोमेसाइल/सामान्य निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- प्रदेश के **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नही होगा।

II-शैक्षिक अर्हतायें (Academic Qualification)

(अर्हताएं नीट यू0जी0–2022 (NTA) के ब्रोशर के अनुसार)

Chapter 5: Eligibility and Qualifications for MBBS and BDS Course

5.1 Eligibility to appear in NEET (UG) – 2022

Eligibility for appearing in **NEET (UG),** as per related Regulations of NMC and DCI are as follows:-

5.1.1 He/she has completed 17 years of age at the time of admission or will complete that age on or before 31 December of the year of his/her admission to the first year of the Undergraduate Medical Course.

Accordingly, the lower age limit shall be as under:

For Candidates of General (UR)/General-EWS	**born on or before 31.12.2005**
For Candidates of SC/ST/OBC-NCL/PwBD Category	

5.1.2 **Upper age limit: As per Letter No. U-11022/2/2022-UGMEB, dated 09 March 2022 received from National Medical Commission (NMC), Under Graduate Medical Education Board (UGMEB) regarding the upper age limit, that there should be no upper age limit as decided in the fourth NMC meeting held on 21 October 2021.**

5.1.3 Indian Citizens/ Overseas Citizens of India (OCI) intending to pursue Undergraduate Medical Courses in a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify for **NEET (UG).**

5.2 Criteria for NRI / OCI / Foreign Nationals

5.2.1 Non-Resident Indians (NRIs), Overseas Citizens of India (OCI), and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical /Dental Colleges subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions, and the Government of India, as the case may be. The NRI and OCI Applicants/Candidates have to upload a Certificate from the concerned Indian Diplomatic Mission in the country of their residence in support of their claim as an NRI/OCI Candidate, along with their online Application Form for NEET (UG)- 2022 and retain the original of such document for producing it at the time of Counselling/ Admission to the Courses covered under NEET (UG). Similarly, a foreign applicant for NEET (UG) 2022 shall also upload Documentary Proof (e.g. relevant pages of a valid passport or a Certificate from the Competent Authority in the country of his/her nationality regarding his/her citizenship status) in support of his/her Nationality, along with online Application Form. The Embassy Certificate and Citizenship Certificate or any Documentary proof of Citizenship are given in Annexures - XIV A and XIV B. Foreign nationals may confirm their eligibility from the concerned Medical/Dental/ College/State.

5.2.2 Eligibility of OCI cardholders for NEET (UG):

The Ministry of Home Affairs vide Notification dated 4 March 2021 specified the rights to which an OCI cardholder shall be entitled under the Citizenship Act, 1955.

Clause (4) (ii) of the said Notification reads as under:

"(4) parity with Non-Resident Indians in the matter of,-

(ii) appearing for the all India entrance tests such as National Eligibility cum Entrance Test, Joint Entrance Examination (Mains), Joint Entrance Examination (Advanced), or such othtests to make them eligible for admission only against any Non-Resident Indian seat or anysupernumerary seat:

Provided that the OCI cardholder shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens."

The above Notification provides the following Explanation:

"The OCI Cardholder (including a PIO card holder) is a foreign national holding passport of a foreign country and is not a citizen of India."

Similarly, the PIO cardholder and foreign nationals shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens.

5.3 Participation of UT of J&K Ladakh in All India Quota

5.3.1 Students from UT of J&K and Ladakh were not eligible for 15% All India Quota seats as erstwhile J&K opted out of the All India Scheme since its inception. So far as the UT of J&K is concerned, the matter for inclusion of the UT in the All India Quota is under deliberation and any decision in this regard shall be placed on the website of NTA in due course. Hence, the candidates from J&K qualifying NEET (UG)-2022 shall not be entitled to participate in the counselling conducted by MCC/DGHS for admission to the MBBS / BDS seats under the All India 15% quota. However, depending upon their marks/ score, they would be able to participate in the counselling conducted by the J&K Board of Professional Entrance Examinations (JKBPEE) for admission to MBBS/ BDS Courses in the Medical Colleges in J&K. For details, the website of JKBPEE (**www.jkbopee.gov.in)** and Directorate of Medical Education, J&K Administration, may be visited by the candidates from J&Kfrom time to time for latest updates. The Candidates from the UT of J&K, if they claim eligibility, must submit an online Self Declaration which will be generated andprinted automatically along with Confirmation Page for the record and they need to present the same during counselling. The Self-Declaration Form is given in Appendix-II. If the declaration is found to be false at any time, the candidature/admission of such candidates shall be cancelled and criminal proceedings may be initiated against such candidates. Candidates from the UT of J&K can appear in NEET (UG) 2022 for admission to Private Medical/Dental/ Colleges or any Private/Deemed University and AFMC, AIIMS, JIPMER subject tothe fulfillment of respective eligibility conditions.

5.3.2 However, from the academic year 2022-23, the students of UT of Ladakh shall be eligible for admission to 15% of All India Quota seats.

5.4 Qualifications and Qualifying Examination Codes

To be eligible for NEET (UG) – 2022, candidates need to refer to the following table for qualifying examination criteria.

CODE: 01	A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12 Standard in 2022, whose result is awaited, may apply and appear in the test but he/she shall not be eligible for admission to the Undergraduate Medical Courses if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage at the time of first round of Counselling. Candidates who have appeared or are appearing at the qualifying Examination with English, Physics, Chemistry, and Biology as the main subject and expect to pass the
	Examination with the required percentage of marks are also eligible to apply and appearin the Competitive Entrance Examination. However, their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying Examination with the required subjects and percentage of marks.
OR	
CODE: 02	The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to class 12 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years of study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after the introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. *Candidates who have passed Class 12 from Open School or as private candidates shallnot be eligible to appear for the 'National Eligibility Cum Entrance Test'. Furthermore,a study of Biology/Biotechnology as an Additional Subject at Class 12 level also shall not be permissible.** **The candidates who have passed Class 12 level with Biology as an additional subject will also be eligible for MBBS Entrance Examination (as per Hon'ble High Court OrderNo. 2341/-W/DHC/WRIT/D-1/2019 dated 24/09/2019 in the Writ Petition (C) No.6773/2019.* If the institute has to consider an examination of an Indian University or of a foreign/university to be equivalent to the 12 Class under intermediate science examination, the candidates shall have to produce a certificate from the concerned Indian University/Association of Indian Universities to the effect that the examination passed by him/her is considered to be equivalent to the 12 class under intermediate science examination. ***(NOTE:** The proviso in italics has been a subject matter of challenge before the Hon'ble High Court of Delhi, Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench, and Hon'ble High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. The provisions of the regulations disqualifying recognized Open School Board candidates and the candidates who have studied Biology/Biotechnology as an Additional Subject has been struck down. The Medical Council of India has preferred Special Leave Petitions before the Hon'ble Supreme Court and Appeals in the Hon'ble High Courts. Therefore, the candidature of candidates in the NEET (UG) - 2022 who have passed the qualifying examinations i.e. Class 12 from National Institute of Open Schooling or State Open Schools or as privatecandidates from recognized State Boards; or with Biology/Biotechnology as an additional subject **shall be allowed but subject to the outcome of Special LeavePetitions/Appeals filed by the Medical Council of India***)

OR	
CODE: 03	The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognized examining body with Physics, Chemistry, Biology /Biotechnology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.
OR	
CODE: 04	The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre- professional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject.
OR	
CODE: 05	The first year of the three years' degree course of a recognized University with Physics, Chemistry, and Biology/Biotechnology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and the candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course.
OR	
CODE: 06	B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Biotechnology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology, and English.
OR	
CODE: 07	Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology; which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology including practical tests in each of these subjects and English.

- Provided also that to be eligible for **NEET (UG) - 2022,** the candidate must have passedin Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry, and Biology/Bio-technology at the qualifying examination as mentioned in the Regulations of NMC and DCI. *In addition, they* must have got a rank in the merit list of **NEET (UG) - 2022** for admission to **Undergraduate Medical Courses**.
- In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, or Other Backward Classes (NCL), the minimum marks obtained in Physics, Chemistry, and Biology/Biotechnology are taken together in the qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for Unreserved and General-EWS Candidates. In respect of PWBD candidates as per NMC and DCI Regulations, the minimum marks in thequalifying examination in Physics, Chemistry, and Biology (or Botany & Zoology)/Biotechnology taken together shall be 40% instead of 50%.

- Provided further that the students who have received education abroad and wish to seek admission into medical colleges in India must have passed in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English with 50% marks in Class 12, and their equivalency determined by the Association of Indian Universities **(AIU)** as per regulations of the Medical Council of India and the concerned University.

- The criteria for minimum qualifying marks to be eligible for admission to MBBS courses shall also be applicable to concerned INIs like AIIMS and JIPMER.

- ***Note:*** *In all other cases, the States/Institutes that have cut-offs for eligibility other than those mentioned above, may follow their own criteria.*

Note*:*

- *The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.*
- *Marks obtained in Mathematics are not to be considered for eligibility for admission to Undergraduate Medical Courses.*
- *The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that the qualifying examination passed by them is, in scope and standard, as explained in CODE: 07.*
- *Any interpretation regarding the requirement of Biology / Biological Sciences as one of the subjects of the Qualifying Examination for NEET (UG) will be subjected to Regulation No. 4 (1) of the Graduate Medical Education Regulations (1997) as amended up to 2018 and the Judgement dated 16th February 2021 of Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 390 of 2021 in the matter of "Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences Vs. Srikeerti Reddi Pingle & Ors." (Para 20 & 21).*

II- पंजीकरण (REGISTRATION)

Online registration and registration fee:

Candidates can apply online by visiting the website ***https://upneet.govt.in***

1. For registration, candidate will use his/her **NEET UG-2022 Application No.** and **Roll No.** follow instructions on screen.
2. Thereafter the candidate's NEET UG-2022 registration details will be displayed & Candidate will get registration number.
3. The candidate will make an online payment of Rs. 2,000/- (Rs. Two thousand only) after which SMS will be sent to his/her registered mobile no.
4. After successful payment candidate will generate registration slip.
5. Registration fee is non refundable.

ऑनलाइन पंजीकरण एवं पंजीकरण शुल्क–

- पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट ***https://upneet.govt.in*** पर लॉगिन करेंगे।
- अभ्यर्थी नीट यू0जी0 2022 के रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 प्रयोग करे एवं स्क्रीन पर दिये गये दिशा–निर्देशो का पालन करें।
- नीट यू0जी0 2022 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/– प्रति अभ्यर्थी (दोनो चक्रो की कांउसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 1000/– प्रति अभ्यर्थी (मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउसिंलिंग हेतु पंजीकरण नहीं करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउसिंलिंग हेतु रू0 2,000/– जमा कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- पंजीकरण के लिए **https://upneet.gov.in** पर NEET Counseling-2022 के लिंक को क्लिक करें एवं वहॉ दिये गये निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करें।
- पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क, नॉन रिफण्डेबल (Non Refundable) है।

IV- आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन (Online Document Verification)–

यू0पी0 नीट यू0जी0–2022 के अन्तर्गत काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियो के शैक्षणिक अभिलेखो का सत्यापन आनलाइन किया जायेगा।

- अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित अभिलेख पंजीकरण के समय अपलोड किए जायेंगे :–

(1) इण्टरमीडिएट मार्कशीट

(2) आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST/EWS, EX/FF/NCC/PH)

(3) सामान्य निवास प्रमाण–पत्र शासनादेश के अनुसार (ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षायें अथवा कोई भी एक परीक्षा उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो)

- पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित में से किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा :–

क्र0सं0	नोडल सेण्टर का नाम
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर
4	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ
6	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झॉसी
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज
9	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदॉयू
17	स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या
18	जिम्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती
21	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद
22	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच

V- धरोहर धनराशि (Security Money)

- स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीट हेतु रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजो की सीट हेतु रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेन्टल कॉलेजो हेतु रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

- यदि कोई अभ्यर्थी राजकीय तथा निजी क्षेत्र दोनो ही प्रकार की सीटों हेतु कांउसिलिंग कराना चाहता है तो उसे मात्र रू0 2,00,000/– ऑनलाइन जमा करना होगा।
- धरोहर धनराशि जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता स्वयं जॉच ले।

धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किये जाने के सम्बन्ध में–

- नीट यू0पी0 यू0जी0–2022 के प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की कोई भी सीट आवंटित नही हुई है, द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् धरोहर धनराशि (Security Money) **अभ्यर्थी के उसी खातें में, जिससें अभ्यर्थी ने धरोहर धनराशि जमा की थी, वापस कर दी जाएगी।**
- राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।
- जिन अभ्यर्थियो द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा तो उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

VI-कांउसिलिंग प्रकियाः–

- काउंसिलिंग प्रकिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जाएगी।
- **च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य होगा च्वाईस लॉक न करने की दशा में सीट आवंटन नही होगा।**
- अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के लिए अर्ह होगे।
- प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की कांउसिलिग में प्रतिभाग कर सकेगे तथा इन्हे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
- **अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी, अतः द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम कांउसिलिंग से प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी।**
- **ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी भाग लेते है तथा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप चक्र से भर दिया जायेगा।**

मॉपअप राउण्ड–

- माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू0जी0–2022 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/– पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- माप–अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें नीट यू0पी0 यू0जी0 2022 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही किया है, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण कराते हुए मॉप–अप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकते है।
- ***नीट यू0पी0 यू0जी0 2022 की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से एम0बी0बी0एस आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।***
- मॉप–अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कोई भी विचार नही किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/– तथा निजी क्षेत्र की मेडिकल (एम0बी0बी0एस0) सीटों हेतु रू0 2,00,000/– तथा निजी क्षेत्र की डेन्टल (बी0डी0एस0) सीटों हेतु रू0 1,00,000/– की **धरोहर धनराशि (Security Money)** जमा करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय ही शासन द्वारा निर्धारित **शिक्षण शुल्क** जमा करना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों के शिक्षण शुल्क की सूची ***https://upneet.gov.in & www.dgme.up.gov.in*** पर प्रदर्शित हो रही है।
- मॉप–अप राउण्ड के पश्चात यदि निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटे रिक्त रह जाती है तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु मॉप–अप राउन्ड में अन–आवंटित पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नीट यू0जी0 2022 की पूर्व कांउसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेंगे। **बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।**
- मॉप–अप राउण्ड में कोई पुनरावंटन (Re-shuffling) अनुमन्य नही होगा।
- ***नीट 2022 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत ऑल इण्डिया कोटा माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप–अप हेतु अर्ह नही होंगे।***

VIII-प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

- प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीट पर आवंटित अभ्यर्थी को आवंटित कालेज/नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होकर कराया जायेगा तथा समस्त अभिलेखों को मूलरूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। मूल अभिलेखों को प्रस्तुत न करने पर अथवा अभिलेख गलत पाये जाने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी

समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की ही होगी। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत किए जायेंगे :–

(1) नीट यू0जी0 2022 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
(2) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
(3) उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण–पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र ।
(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा)।
(5) आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होगे। अन्य प्रदेशो से निर्गत आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा।
(6) अन्य पिछडा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) का प्रमाण पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत हो तथा दिनांक 01.4.2022 अथवा उसके बाद का जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।
(7) पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)

नोटः–

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे तथा वर्तमान सत्र के लिए निर्गत किये गये हो।
- किसी भी विवाद/अस्पष्टता की स्थिति में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विवाद/अस्पष्टता के समाधान हेतु विशेष चिकित्सा बोर्ड गठित किया जायेगा।
- एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग के साथ) नेशनल कैडेट कोर (**National Cadet Corps**) हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत बटालियन द्वारा जारी किया गया मान्य होगा।

➢ **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किये जाने वाले नोडल सेन्टर की सूचीः–**

क0	नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी0 आफ डेन्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ
		2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ	
		3. टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ	2. सरस्वती डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ।
		4. इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज,लखनऊ	
		5. प्रसाद इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	
2.	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल	6. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी	3. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ
		7. मेयो इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज,	4. बी0बी0डी0 कालेज आफ

	साइन्सेज, लखनऊ	बाराबंकी। 8. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सीतापुर।	डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ। 5. चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी।
3.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	9. रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कानपुर।	6. रामा डेन्टल कालेज, कानपुर। 7. महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।
		10. सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव।	
		11.नारायणा मेडिकल कालेज, कानपुर।	
4.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	12. के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा।	8. के0डी0 डेन्टल कालेज, मथुरा।
		13. एफ0एच0 मेडिकल कालेज, आगरा।	
		14. कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा।	
5.	एल0एल0आर0 एम0 मेडिकल कालेज मेरठ	15. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	9 सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ
		16. जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड	10. कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ
		17. सरस्वती इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, हापुड	11.आई0डी0एस0टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद।
		18. नेशनल कैपिटल रीजन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (एमएसवाई), मेरठ।	12. डी0जे0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद
		19. रामा मेडिकल कालेज हापुड	13. श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज गाजियाबाद।
			14. कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।
6.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज प्रयागराज	20. हेरिटेज इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, वाराणसी 21. यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज।	
7.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर		15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर
			16. डेन्टल कालेज, आजमगढ़
8	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	22. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	
9.	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोयडा	23. स्कूल ऑफ मेडिकल साइसेंज, (शारदा यूनिवर्सटी) ग्रेटर नोयडा 24. नोयडा इन्टरनेशनल इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज	17. आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेन्टल मुरादनगर गाजियाबाद
			18. स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, (शारदा यूनिवर्सटी) ग्रेटर नोयडा
			19. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद
			20. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्रेटर नोयडां।
10.	बरेली इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय	25. रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज बरेली। 26. वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज शाहजहॉपुर 27. राजश्री मेडिकल मेडिकल कालेज बरेली।	21. आई0डी0एस0 डेण्टल कालेज बरेली

	बरेली।	28. श्री राममूर्ति स्मारक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज बरेली।	
11.	तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद	29. तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज मुरादाबाद। 30. श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज, गजरौला, अमरोहा।	22. तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज मुरादाबाद।

IX-त्यागपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में–

- शासनादेशसंख्याः– 693/71–4–2022 दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 के अनुसार त्याग–पत्र अनुमन्य होगा।

- The candidates who have joined a seat in round 2 of State quota counselling or AIQ counselling will not be eligible for the further rounds of counselling. Vide order dated 31/03/2022 the Hon'ble Supreme Court of India in W.P. No. 174 of 2022 issued directions which are as follows:

  "(v) In line with the regulations which have been notified on 5 April 2018, students who have joined in round 2 of the state quota or round 2 of the AIQ shall not be eligible to participate in the mop-up round for All India Quota."

- रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार–उस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में बिन्दु–4 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैः–
  4. After the second round of counselling for All India Quota seats, the students who take admission in All India Quota seats should not be allowed/permitted to vacate the seats. This would ensure that very few seats are reverted to the State Quota and also All India Quota seats are filed by students from the all India merit list only. The students who take admission and secure admission in Deemed Universities pursuant to the second round of counselling conducted by the DGHS shall not be eligible to participate in any other counselling.

X-आरक्षण (Reservation)

(क) नीट यू0जी0 2021 के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक राजकीय मेडिकल/डेण्टल पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों पर निम्नवत् **'उर्द्धवाधर आरक्षण'** (**Vertical Reservation**) प्रदान किया जायेगा :

1. अनुसूचित–जाति (S.C.) के अभ्यर्थी — 21 प्रतिशत
2. अनुसूचित–जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी — 02 प्रतिशत
3. अन्य–पिछड़ा–वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थी — 27 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी — 10 प्रतिशत

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)** वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश

शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा–निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

- अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2022 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–II दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार EWS का आरक्षण उन्हीं पुराने कॉलेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें एम0सी0आई0 द्वारा EWS के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैडेट	01 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत

नोट– एम0सी0आई0 के पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्राप्त THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियो को 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया जाना है। वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटे नीट की मेरिट सूची के आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियो द्वारा भरी जायेंगी। इस उद्देश्य के लिए दित्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गयी विनिर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट–ज में संलग्न है। यदि दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों क्रमशः राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में ''वर्टिकल'' आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया हैः–

क्र0 सं0	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
	योग	**85**	**15**	**100**

- स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

(ग) शासनादेश संख्या–22सी0एम0(1)/26–3–13 दिनांक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है : –

बिन्दु संख्या–3 – जहॉ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियॉ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीगृत हैं, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गो हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु संख्या–4 –यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा की ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियॉ, जो अनूसूचित जाति अथवा अनूसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नही है, अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

(घ) आरक्षित श्रेणी की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगाः–

- कांउसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उप श्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व कांउसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियों) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–18/1/2008–का–2/2015 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित–पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्पेशल अपील संख्या–689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर–प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0जी0 2019 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नही किया जायेगा।
- रिट याचिका संख्या–1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 24. 03.2017 को पारित आदेश/निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के क्रम में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रश्नगत मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0 2022 की कांउसिलिंग हेतु इस ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियो को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

XI-निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजो में आरक्षण–

निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेजो / डेण्टल कालेजो / विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों / संस्थाओ में अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नही होगा।

XII-बॉण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में–

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–950 / 71–2–82 / 2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशो के क्रम में राजकीय मेडिकल / डेण्टल कालेजो / संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार हैः–

क्र0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रू0 10.00 लाख	महानगरो को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र मे संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।

उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाईट ***www.dgme.up.gov.in*** पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तो के सम्बन्ध में शासनादेश का स्वयं अवलोकन करे।

XIII- NAME OF MEDICAL COLLEGES

Government Medical Colleges

Sr.No.	Name of Colleges	Year of Inception	MBBS Seats	AIQ	Central pool Quaota	State Quaota
1	King George. Medical University, Lucknow	1911	250	37	3	210
2	S.N. Medical College, Agra	1947	128	19	3	106
3	G.S.V.M. Medical Colleg, Kanpur	1956	250	37	3	210
4	M.L.N.Medical College, Prayagraj	1961	200	30	3	167
5	L.L.R.M.Medical College, Meerut	1966	100	15	3	82
6	M.L.B.Medical College, Jhansi	1968	150	23	3	124
7	B.R.D. Medical College Gorakhpur	1972	150	22	3	125
8	U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research, Saifai, Etawah	2006	200	30	—	170
9	Government Medical college, Ambedkar Nagar (S.C.P)	2011	100	15	—	85
10	Government Medical College, Kannauj. (S.C.P)	2012	100	15	—	85
11	Government Medical College, Azamgarh	2013	100	15	—	85
12	Government Medical College, Jalaun	2013	100	15	—	85
13	Government Medical College, Saharanpur	2015	100	15	—	85
14	Government Medical College, Banda	2016	100	15	—	85
15	Dr. RMLIMS, Lucknow	2017	200	30	—	170
16	Government Medical College, Badaun	2019	100	15	—	85
17	Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida	2019	100	15	—	85
18	Autonomous State Medical College, Ayodhya	2019	100	15	—	85
19	Autonomous State Medical College, Basti	2019	100	15	—	85
20	Autonomous State Medical College, Bahraich	2019	100	15	—	85
21	Autonomous State Medical College, Firozabad	2019	100	15	—	85

22	Autonomous State Medical College, Shahjahanpur	2019	100	15	—	85
23	Autonomous State Medical College, Fatehpur	2021	100	15	—	85
24	Autonomous State Medical College, Ghazipur	2021	100	15	—	85
25	Autonomous State Medical College, Siddharthnagar	2021	100	15	—	85
26	Autonomous State Medical College, Deoria	2021	100	15	—	85
27	Autonomous State Medical College, Pratapgarh	2021	100	15	—	85
28	Autonomous State Medical College, Mirzapur	2021	100	15	—	85
29	Autonomous State Medical College, Etah	2021	100	15	—	85
30	Autonomous State Medical College, Hardoi	2021	100	15	—	85
31	Autonomous State Medical College, Jaunpur	2021	100	15	—	85
	Total Seats-		3828	574	21	3233

Note :- Number of seats are variable.

***यू0पी0 नीट यू0जी0–2022–23 हेतु जारी शासनादेश दिनांक 21.10.2022 के बिन्दु 09 के उपबिन्दु (ग) में अंकित राजकीय मेडिकल कालेजो क्रमशः अम्बेडकर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में आरक्षण व्यवस्था शासनादेश के अनुसार लागू होगी।**

- राजकीय क्षेत्र में स्थापित मात्र एक डेण्टल कालेज(के0जी0एम0यू0) में भी डी0सी0आई0 द्वारा कोई सीट वृद्धि नही की गयी है। अतः ई0डब्लू0एस0 कोटा दिया जाना सम्भव नही है।

Government Dental College

Sr.No.	Name of College	BDS Seats	AIQ	Central pool Quaota	State Quaota
1	Faculty of Dental Science, King George. Medical University, Lucknow संकाय)	70	09	10	**51**

Private Medical Colleges

S.No.	Name of Private Colleges	Year of Inception	No. of Seats in 2022-23
1	Subharti Medical College, Meerut	**1996**	**150**
2	Era's Lucknow Medical College, Lucknow **(Minority)**	**1997**	**150**
3	Sri Rammurti Smarak Institute of Medical Sciences, Bareilly	**2005**	**150**
4	Muzaffar Nagar Medical College, Muzaffar Nagar	**2006**	**150**
5	RohilKhand Medical College, Bareilly	**2006**	**250**
6	Rama Institute of Medical Sciences Research & Hospital, Kanpur	**2008**	**150**
7	Saraswati Institute of Medical Sciences, Hapur	**2008**	**150**
8	Teerthankar Mahaveer Medical College & Research Center, Moradabad **(Minority)**	**2008**	**150**
9	Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki	**2009**	**100**
10	School of Medical Sciences (Sharda University) Greater Noida	**2009**	**250**
11	Career Medical College, Lucknow **(Minority)**	**2011**	**100**
12	Rama Medical College & Hospital, Hapur	**2011**	**250**
13	Mayo Institute of Medical Sciences, Barabanki	**2012**	**150**
14	Integral Institute of Medical Sciences, Lucknow **(Minority)**	**2013**	**150**
15	F. H. Medical College, Firozabad/ Agra **(Minority)**	**2014**	**150**
16	Rajshree Medical College, Bareilly	**2014**	**150**
17	Heritage Institute of Medical Sciences, Varanasi	**2015**	**150**
18	Hind Medical College, Sitapur	**2015**	**150**
19	K.D. Medical College, Mathura	**2015**	**150**
20	Krishna Mohan Medical College & Hospital, Pali Dungra, Sonkh Road, Mathura	**2016**	**150**
21	Prasad Institute of Medical Sciences, Lucknow	**2016**	**150**
22	**Saraswati Medical College, Unnao***	**2016**	**150**
23	Shri Venkateshwara Institute of Medical Sciences, Gajraula, Amroha	**2016**	**150**
24	T.S.M. Institute of Medical Sciences, Lucknow	**2016**	**150**
25	Varunarjun Medical College & Rohilkhand Hospital , Sahjahanpur	**2016**	**150**
26	G.S. Medical College, Hapur	**2017**	**150**
27	National Capital Region Institute of Medical Sciences, Meerut (Previous Known as MSY)	**2017**	**150**
28	United Institute of Medical Sciences, Prayagraj	**2020**	**150**
29	Noida International Institute of Medical Sciences, Gautam Budh Nagar	**2020**	**150**
30	Naraina Medical College & Hospital, Kanpur	**2021**	**150**
		TOTAL-	**4700**

Note :- Number of seats are variable.

Private Dental Colleges

Sr. no.	Institute Name	Year of Inception	BDS Seats
1	Sardar Patel Post Graduate Institute Of Dental & Medical Sciences, Lucknow	1996	100
2	Rama Dental College, Kanpur	1996	100
3	Subharti Dental College, Meerut	1996	100
4	Saraswati Dental College, Lucknow	1998	100
5	D.J. College Of Dental Sciences & Research,Modinagar, Ghaziabad **(Minority)**	1999	100
6	Kothiwal Dental College & Research Centre, Moradabad	1999	100
7	Career Dental College, Lucknow **(Minority)**	2000	100
8	I.T.S. Dental College, Hospital & Research Centre, Ghaziabad	2000	100
9	Institute Of Dental Studies & Technologies, Modinagar, Ghaziabad	2000	100
10	BBD Dental College, Lucknow	2000	100
11	KD Dental College & Hospital, Mathura	2001	100
12	Institute Of Dental Sciences, Bareilly	2001	100
13	Chandra Dental College, Barabanki	2003	100
14	Shri Bankey Bihari Dental College & Research Centre, Ghaziabad	2004	100
15-	Kalka Dental College Meerut	2004	100
16	Dental College, Azamgarh	2005	100
17	Maharana Pratap Dental College, Kanpur	2005	100
18	Teerthanker Mahaveer Dental College &Research Centre, Moradabad **(Minority)**	2005	100
19	Purvanchal Dental College Gorakhpur	2005	100
20	School Of Dental Sciences, (Sharda University) Greater Noida	2006	100
21	Inderprastha Dental College & Hospital, Ghaziabad	2006	100
22	I.T.S. Dental College, Hospital & Research Centre, Greater Noida	2006	100
	TOTAL		2200

Note :- Number of seats are variable.

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी
2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार
3. जाट
4. कुर्मी, चनऊ, कुर्मी–सैंथवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल
5. गिरी
6. गूजर
7. गोसाई
8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी–राजपूत
9. कम्बोज
10. अरख, अर्कवंशीय
11. काछी, काछी–कुशवाहा, शाक्य
12. कहार, कश्यप
13. केवट, मल्लाह, निषाद
14. किसान
15. कोइरी
16. कुम्हार, प्रजापति
17. कसगर
18. कुजड़ा या राईन
19. गड़ेरिया, पाल, बघेल
20. गद्दी, घोसी
21. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक
22. छीपी, छीपा
23. जोगी
24. झोजा
25. डफाली
26. तमोली, बरई, चौरसिया
27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक
28. दर्जी, इदरीशी, काकुत्स्थ
29. धीवर
30. नक्काल
31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
32. नायक
33. फकीर
34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी
35. बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड, धीमान
36. बारी
37. बैरागी
38. बिन्द
39. बियार
40. भर, राजभर
41. भुर्जी, भड़भुजा, भूंज, कांदू, कशोधन
42. भठियारा
43. माली, सैनी
44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर
45. लोहार, लोहार–सैफी
46. लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर लोनिया–चौहान
47. रंगरेज, रंगवा
48. मारछा
49. हलवाई, मोदनवाल
50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास
51. राय सिक्ख
52. सक्का–भिश्ती, भिश्ती–अब्बासी
53. धोबी (जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
54. केसरा, ठठेरा, ताम्रकार
55. नानबाई
56. मीरशिकार
57. शेख सरवारी (पिराई), पीराही
58. मेव, मेवाती
59. कोष्टा/कोष्टी
60. रोड़
61. खुमरा, संगतराश, हंसीरी
62. मोची
63. खागी
64. तंवर सिंघाड़िया
65. कतुआ
66. माहीगीर
67. दांगी
68. धाकड़
69. गाडा
70. तंतवा
71. जोरिया
72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी
73. कलाल, कलवार, कलार
74. मनिहार, कचेर, लखेरा
75. मुराव, मुराई, मौर्य
76. मोमिन (अंसार)
77. मुस्लिम कायस्थ
78. मिरासी
79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)

अनुसूचित जातियों की सूची (Schedule Caste of U.P.)

1. अगरिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) 2. बधिक 3. बादी
4. बहेलिया 5. बैगा (सोनभद्र जिले को छोड़कर) 6. बैसवार
7. बजनिया 8. बाजगी 9. बलहार
10. बलाई 11. बाल्मीकि 12. बंगाली
13. बनमानुश 14. बांसफोड़ 15. बरवार
16. बसोड़ 17. बावरिया 18. बेलदार
19. बेरिया 20. भंतू
21. भुइया (सोनभद्र जिले को छोड़कर)
22. भुईयार 23. बोरिया 24. चमार, झुसिया, धुसिया, जाटव
25. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिले को छोड़कर) 26. दबगर 27. धनगर
28. धानुक 29. धरकार 30. धोबी
31. डोम 32. डोमर 33. दुसाध
34. घरामी 35. घसिया
36. गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों को छोड़कर) 37. ग्वाल 38. हबूड़ा
39. हरी 40. हेला 41. कलाबाज
42. कंजर 43. कपड़िया 44. करवल
45. खराहा
46. खरवार (बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, और सोनभद्र जिलों को छोड़कर) 47. खटीक
48. खोरोट 49. कोल 50. कोरी
51. कोरवा 52. लालबेगी 53. मझवार
54. मजहबी 55. मुसहर 56. नट
57. पंखा (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले को छोड़कर)
58. परहिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) 59. पासी, तरमाली
60. पटरी (सोनभद्र जिले को छोड़कर) 61. रावत
62. सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर) 63. सिनोरिया 64. सांसिया
65. शिल्पकार 66. तुरैहा

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. थारू 2. बुक्सा 3. भोटिया 4. राजी 5. जन्नासरी/जौनसारी
6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)
8. सहरया (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में)
12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13. पटारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में)

<u>नोटः–</u> उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 यथासंशोधित के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा।

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

---------------------------------- COURSE --------------------------- SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT --------------------------- ON THIS DAY OF -------------------------------

BETWEEN

NAME --
S/O, D/O, W/O --
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) --
(TEMPORARY ADDRESS) :--
MOBILE NO.: ---
E-Mail id.: ---
AADHAR No. :--

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to ------------------ course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the ------------------course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the --------------- course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ------------- course his/her certificates relating to ------------------- course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs.---------------- (Rupees ------------------------------------) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period 'of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY -------------------- employed as ---------------- granted stipend to

him/her for a period of 24 months effect from ------------in order to enable his/her to study at ------------------------------------- college.

AND WHERE AS if the FIRST PARTY --- work s for a period of less than 24 months during the ----------------------------------- Super specialty course DM/MCH/---------------- Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY --- shall pay back in addition to the security amount of Rs……………………………(Rupees---------------------------------only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS: -

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the -------------------- Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. ------------------(Rupees ------------------------------only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion of the period of two year service to the Government or till the payment of Rs. -------------------------(Rupees ----------------------------) only is paid the certificates relating to ------------------- Super specialty course DM/MCH/----------------Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of
of
FIRST PARTY
( )

For and behalf
Governor
( )

Witnesses : -

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग   लखनऊः दिनॉक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते है।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को " **नागरिकता** " जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को " **नागरिकता** " से जोडकर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजंस की स्थिति का सामाना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनॉक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

(1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तद्नुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।

(2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए **"सक्षम अधिकारी "** होंगे।

(3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।

(4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।

(5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 सलंग्न है।

(6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलाग्नित किया जायेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तदायित्य होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जॉच हेतु संबंधित जॉच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जॉच आख्या मॉग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जॉच आपत्तियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।

(9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवदेक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निसासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे है, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।

(10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय **" दि सिटीजनशिप एक्त्-1955 "** में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)

आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम ....

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम ....

आवेदक का नवीनतम फोटो सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर सहित चस्पा दी जाये।

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रामण पत्र (यदि है तो) ....

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक)...

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो) ....

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एव उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र)..

पूरा वर्तमान पता ....

थाना ....तहसील ....

जनपद .... (तथा पिछले तीन वर्षा से निवास करने का पता, कब से कब तक) ....

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि ....

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान ....

(ख) जन्म तिथि ....(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता ....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है (हॉ/नहीं)......................... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10-प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए ....

मैं.................................. घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

<u>सत्यापन</u>

1- श्री/श्रीमती/कुमारी... (जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर ....ग्राम/मोहल्ला................................... पोस्ट.. ..जनपद.................................. उत्तर प्रदेश को मैं .... वर्षो से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी... वर्षो से उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री/पत्नी .... की या उसके माता/पिता की ग्राम/मोहल्ला.......................... तहसील .... जिला..में अचल सम्पत्ति है।

दिनाक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारूप-2

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है
श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
मकान नंबर ....
मुहल्ला .... थाना ....
उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता ....
....

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (व्तकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,
का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।